

अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।

दिनांक-01.05.2023

सेवा में,

Dig Vijay Pradhan,
M/s SUPER CAST,
4th Floor, PradhanTower, Main Road, Ranchi-1

विषय:- मौजा-PUGRU, प्लॉट नं०-Survey Plot No.-339P, 340P/Industrial Shed No.-23A, 24A, खाता नं०-18, 74, वार्ड नं०-N/A, थाना-टिपुदाना, जिला-राँची में प्रस्तावित वेयर हाउस भवन निर्माण हेतु अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह।

उपर्युक्त विषयक आपके द्वारा ऑन-लाईन भेजे गये प्लान के अनुसार प्रस्तावित संबंधित वेयर हाउस के स्थल की भौतिक जाँच प्रभारी अग्निशमन पदाधिकारी, धुर्वा, राँची के माध्यम से प्रस्तावित स्थल का भौतिक निरीक्षण कराया गया। उन्होंने अपने ज्ञापांक-154 दिनांक-30.04.2023 के माध्यम से समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं प्रतिवेदन में की गई अनुशंसा के आलोक में डाउनलोड किये गये प्लान के अनुसार उक्त प्रस्तावित वेयर हाउस निर्माण हेतु निम्नांकित अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह दिये जाते हैं :-

1. प्रस्तावित वेयर हाउस के सामने वाले भाग में कम से कम 25,000 लीटर क्षमता वाले अंडरग्राउण्ड स्टैटिक वाटर टैंक का निर्माण ऐसे स्थान पर कराया जाय, जहाँ अग्निशमन वाहन आसानी से पहुँचकर पानी ले सकें।
2. किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में अग्निशमन वाहनों को इस टैंक से पानी लिये जाने हेतु ड्रॉ-आउट कनेक्शन दिये जाने की व्यवस्था की जाय।
3. वेयर हाउस के चारों तरफ 100 MM डायामेटर के एक रिंग मेन्स का निर्माण कराया जाय, जिसमें प्रत्येक 30 मीटर अथवा उसके भाग पर 01-01 हाईड्रैण्ट तथा 30 मीटर लम्बा होजरील होज का संस्थापन कराया जाय।
4. प्रत्येक हाईड्रैण्ट के पास दीवार में एक-एक होज बॉक्स का संस्थापन कराया जाय, जिसमें दो-दो लेन्थ डिलिवरी होज एवं एक-एक अदद ब्रांच विथ नोजल रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
5. वेयर हाउस के मुख्य प्रवेश द्वार के पास थ्रीवेज फायर सर्विस इनलेट का संस्थापन कराया जाय।
6. वेयर हाउस के अग्निशमन कार्य हेतु एक पम्प हाउस का निर्माण कराया जाय, जिसमें एक शक्तिशाली फायर पम्प का संस्थापन कराया जाय।
7. इन सभी पम्पों को स्वचालित एवं स्वतंत्र विद्युत व्यवस्था से जोड़कर रखा जाय।
8. मेन इलेक्ट्रिकल स्वीच बोर्ड को Auto Modular Fire Extinguisher एवं रबड़ मैट से सुरक्षित किया जाय एवं विद्युत मेन कंट्रोल पैनल के नीचे फर्श पर कम से कम 30mm मोटा रबड़ मैट का संस्थापन कराया जाय।
9. बिजली के मेन स्विच बोर्ड के पास 4.5 के०जी० क्षमता के 02-02 अदद सी०ओ०टू० तथा 06 के०जी० क्षमता के 02-02 अदद डी०सी०पी० अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
10. वेयर हाउस की विद्युत व्यवस्था किसी Lisenced Electrician से हीं कराये जाँय।
11. वेयर हाउस में प्रति 400 वर्गफीट अथवा उसके भाग के लिए दो की दर से 06 के०जी० क्षमता का DCP Fire Extinguisher रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
12. वेयर हाउस में एक मैनुअली ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिक फायर अलार्म लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
13. वेयर हाउस में मानक के अनुरूप तड़ित चालक लगाये जाने की व्यवस्था की जाए।

14. वेयर हाउस को उपयोग में लाये जाने के पूर्व भवन में संस्थापित किये गये अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का विस्तृत प्लान Soft Copy में इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए जाँच प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लेंगे साथ ही आवेदक अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने से पहले सेल्फ अप्रेजल चेक-लिस्ट एवं नोटरी पब्लिक द्वारा निर्गत शपथ पत्र समर्पित करेंगे कि अग्निशमन सेवा मुख्यालय द्वारा दिये गये सभी सुझावों का अनुपालन पूरी तरह करा लिया गया है।
15. अग्नि-सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से दिये गये सुझावों के अनुपालन की जाँच इस विभाग से कराये जाने एवं जाँच में संतोषजनक पाये जाने के पश्चात् ही अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जायेंगे।
16. भवन के किसी भी भाग में बाद में Plan या Nature of Occupancy में बदलाव किया जाता है तो इस कार्यालय को सूचित करके Clearance अवश्य प्राप्त करेंगे।
17. राष्ट्रीय भवन संहिता भाग IV के नियम 6.9 में वर्णित सुरक्षा व्यवस्थाओं का अनुपालन दृढ़ता से किया जाय।

(जगजीवन राम)

प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
झारखण्ड, राँची।